2015 का विधेयक संख्यांक 3

शिमला की सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

शिमला सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 11 का संशोधन।

3. धारा 12 का संशोधन।

2015 का विधेयक संख्यांक 3

शिमला की सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

शिमला सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गण्राज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम। 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिमला की सडकों का उपयोग वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2015 है।

धारा 11 का संशोधन। 2 शिमला की सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात '' मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 11 के खण्ड (घ) में '' उप–निरीक्षक'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''सहायक उप–निरीक्षक'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 12 का संशोधन। 3 मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(क) उपधारा (1) के परन्तुक में ''उप–निरीक्षक'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''सहायक उप–निरीक्षक'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

शिमला की सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 की धारा 11 और 12, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप–निदेशक की पक्ति से नीचे का न हो, स्थल (मौके) पर ही जांच (चैकिंग) करने का उपबन्ध करती है। यह पाया गया है कि विशिष्टत : पर्यटक सीजन के दौरान यानों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता की कमी के कारण सील्ड और प्रतिबन्धित सडकों से गुजरने वाले प्रत्येक यान की जांच (चैंकिग) करना और अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करना कठिन हो जाता है। इसलिए, सील्ड और प्रतिबन्धित सडकों पर चलने वाले यानों की जांच (चैकिंग) करने हेतु और अपराधों के शमन हेतु सहायक उप–पुलिस निरीक्षक को भी सशक्त करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 और 12 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ती के लिए है।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

धर्मशाला :
तारीख   2015 ।

———

वितीय ज्ञापन

—शुन्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य

शिमला की सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015

शिमला सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान सचिव (विधि)

धर्मशालाः

तारीख 2015 ।

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले शिमला की सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) के उपबन्धों के उद्वरण

धाराएंः

11 इस अधिनयम के उपबन्धों का प्रवर्तन— उपायुक्त शिमला और पुलिस अधीक्षक शिमला सुनिश्चित करेगा किः—

(क) समस्त सील्ड और प्रतिबन्धित सडकों के प्रवेश स्थलों और सहजदृश्य स्थलों पर संकेतों की व्यवस्था है जो सडक का नाम और इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों को उपदर्शित करती है;

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए विशेष रूप से व्यस्ततम समय पर प्र्याप्त यातायात पुलिस तैनात (अभिनियोजित) की गई है ;

(ग) सील्ड सडकों में प्रवेश और निकास तथा अन्य सामरिक (स्ट्रेटीजिक) स्थलों पर बैरियरों की स्थापना यह सुनिश्ति करने के लिए की गई है कि यान ऐसी सडकों का उपयोग आम रास्ते के रूप में या यान को अधिक गति से चलाने के लिए न करें ; और

(घ) सील्ड और प्रतिबन्धित सडकों पर चलने वाले यानों की निरन्तर अन्तरालों पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप—निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, स्थल पर (मौके पर) ही जांच (चैकिंग) की जा रही है।

12 शास्तियां (1) जो कोई पास के किसी भी निबन्धन और शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसे दो हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा या उसके व्यतिक्रम में उसे दस दिन का साधारण कारावास भुगतना होगाः

परन्तु ऐसे प्रत्येक अपराध का वर्दी में पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप—निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, एक हजार रूपए की प्रशमन फीस के साथ स्थल पर (मौके पर) ही शमन किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अध्यधीन रहते हुए जो कोई इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसे तीन हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा या उसके व्यतिक्रम में उसे पन्द्रह दिन का साधारण कारावास भुगतना हेगाः

परन्तु यह कि वर्दी में पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप—निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पन्द्रह सौ रूपए की प्रशमन फीस के साथ अपराध का स्थल पर (मौके पर) ही शमन किया जा सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति प्रशमन फीस का संदाय करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उसकी चालान अनुज्ञप्ति सहित, परिबद्ध कर लिया जाएगा और मामले को अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL N 3 OF 2015

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2015

ARRANGMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 11
3. Amendment of section 12

BILL NO 3 OF 2015

SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (Act No. 2 of 2008)

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title	1	This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Act, 2015
Amendment of section 11.	2	In section 11 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (d) for the words and sign, " Sub-Inspector", the words and sign "Assistant Sub-Inspector", shall be substituted.
Amendment of section 12	3	In section 12 of the principal Act,- (a) in sub-section (1), in proviso, for the words and sign "Sub-Inspector", the words and sign "Assistant Sub-Inspector" shall be substituted:, and (b) in sub-section (2), in proviso, for the words and sign "Sub-Inspector", the words and sign "Assistant Sub-Inspector shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 11 and 12 of the Shimla Road User and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 provides for on the spot checking by Executive Magistrate or Police Officer not below the rank of Sub-Inspector. It has been observed that with the increase in the number of vehicles, particularly, in the tourist season and availability of Police Officers it becomes difficult to check each and every vehicle passing through sealed and restricted roads and to take action. Thus it has been decided to empower the Assistant-Sub-Inspector of Police also for checking the plying of vehicles and compounding of offences on sealed and restricted roads by making suitable amendments in sections 11 and 12 of the Act ibid.

This Bill seeks to advise the aforesaid objections.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

Shimla
The……,2015.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (Act No. 2 of 2008)

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister

(DEVENDER KUMAR SHARMA)
Principal Secretary (Law)

Shimla:

The……,2015

EXTRACT OF THE POROVISIONS OF THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) ACT, 2007 LIKELY TO BE EFFECTED BY THE AMENDMENT BILL

Sections:

11. Enforcement of provisions of this Act.- The Deputy Commissioner, Shimla and Superintendent of Police, Shimla shall ensure,—

(a) Provision of signages at entry points and other conspicuous places on all sealed and restricted roads indicating the name of the road and the relevant provisions of this Act;

(b) Deployment of sufficient traffic police, specially at peak hours in order to enforce the provisions of this Act;

(c) Placement of Barriers at the entry and exit and other strategic points on sealed roads to ensure that vehicles do not use such roads as thoroughfares or drive at high speed; and

(d) On the spot-checking, at frequent intervals, of the vehicles plying on the sealed or restricted roads, by an Executive Magistrate or Police Officer not below the rank of Sub-Inspector.

12. Penalties.- (1) Whoever contravenes any of the terms and conditions of the pass, shall be punishable with a fine of Rs. 2000 or undergo simple imprisonment of 10 days in default thereof:

Provided that each such offence may be compounded on the spot by a Police Officer in uniform not below the rank of Sub-Inspector for a compounding fee of Rs.1000.

(2) Subject to sub-section (1), whoever contravenes any of the provisions of this Act, shall be punishable with a fine of Rs. 3000 or undergo simple imprisonment of 15 days, in default thereof:

Provided that a police officer in uniform not below the rank of Sub-Inspector may compound the offence on the spot for a compounding fee of Rs. 1500.

(3) If any person fails to pay the compounding fee, the Registration Certificate of the vehicle shall be impounded along with the Driving License of such person and the case shall be forwarded to the Judicial Magistrate, having jurisdiction.